

पत्र संख्या/स्था0अराज0/2022-23/

3437

/राज्य कर

कार्यालय आयुक्त,राज्य कर उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक 02 नवम्बर,2022

1-समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

2-अपर निदेशक,
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या 953 दिनांक 07.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभाग में उपलब्ध दो आनलाईन पोर्टल (BOWEB PORTAL तथा व्यास सेण्ट्रल) पर कर्मचारियों को लॉगिन आई0डी0 पासवर्ड उपलब्ध कराने हेतु फील्ड में तैनात सब-स्टेट एडमिन एवं लोकल एडमिस्ट्रेटर को निर्देशित किया गया था।

आयुक्त महोदया द्वारा उक्त निर्देश के क्रम में कितने कर्मचारियों की लॉगिन आई-डी BOWEB PORTAL तथा व्यास सेण्ट्रल पर जोनल स्तर पर उपलब्ध करा दी गई है कि समीक्षा की जानी है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि दिनांक 4.11.2022 तक ई-मेल cta3comhqlu-up@nic.in पर परिपत्र संख्या 953 दिनांक 07.10.2022 अनुसार इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि निर्धारित कर्मचारियों की ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन आई0डी0 उपलब्ध करा दी गई है।

(ओम प्रकाश वर्मा)

अपर आयुक्त राज्य कर

प्रभार अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

✓ प्रतिलिपि उपायुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित की पत्र की प्रति विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पी0एन0यादव)

संयुक्त आयुक्त(स्था0अराज0)राज्य कर
मुख्यालय,लखनऊ।

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(आई0टी0 अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक 07 अक्टूबर, 2022

समस्त जोनल अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त
(कार्यपालक)/अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी,
प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के द्वारा जारी परिपत्र संख्या-स्थापना अराजपत्रित/स्था06 (स्था)/3186/वाणिज्य कर, दिनांक 08-10-2021, जिसे आगे परिपत्र कहा गया है, से वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) अधिनियम के लागू होने के उपरान्त वाणिज्य कर विभाग के लिपिक संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग, मनोरंजन कर निरीक्षक संवर्ग, कम्प्यूटर संवर्ग, संग्रह संवर्ग एवं संख्या संवर्ग(सहायक संख्या अधिकारी) के कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण कर्मचारियों के पद के अनुसार किया गया है। उक्त के अनुसार फील्ड एवं मुख्यालय स्तर पर कार्य को प्रभावी बनाने हेतु कर्मचारियों को Portal पर आई0डी0 आवंटित करने की व्यवस्था की जाती है:-

विभाग में कार्य करने हेतु मुख्यतः दो ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध हैं:-

- 1- Boweb Portal जो कि जीएसटीएन द्वारा विकसित किया गया है तथा इस पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट उपलब्ध होने के साथ-साथ Functionality उपलब्ध है। इसके साथ-साथ जीएसटीएन द्वारा बीफा, ई-वेबिल पोर्टल भी उपलब्ध कराया गया है।
2. विभागीय व्यास सेण्ट्रल पोर्टल- यह पोर्टल विभागीय है। जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही विभिन्न डाटा एवं सूचनाओं को वाणिज्य कर मुख्यालय स्तर से कार्यालयवार कार्यवाही करने हेतु अधिकारियों को इस पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत कर्मचारियों को निम्न प्रकार से लॉगिन आई0डी0 पासवर्ड उपलब्ध कराया जा रहा है -

(अ) Boweb Portal पर कार्य करने हेतु वर्तमान में पोर्टल पर उपलब्ध Functionality roles को, मुख्यालय के द्वारा जारी परिपत्र में दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्न प्रकार आवंटित किया जाता है :-

S.No.	Boweb Portal पर उपलब्ध रोल	कर्मचारी संवर्ग
1	Assistant to Appellate Authority	एडी0 कमि0 ग्रेड-2(अपील) के कार्यालय में तैनात प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान सहायक
2	Steno-Authority for Advance Ruling	मुख्यालय स्तर पर एडवांस रूलिंग अनुभाग में तैनात प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान सहायक
3	Steno- Apellate Authority for Advance Ruling	मुख्यालय स्तर पर एडवांस रूलिंग की अपील के अनुभाग में तैनात प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान सहायक
4	Assistant to Commissioner	मुख्यालय स्तर पर जी0एस0टी0 अनुभाग में तैनात प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान सहायक

5	View Jurisdictional Record and View Jurisdictional Dashboard	लिपिक संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग, मनोरंजन कर निरीक्षक संवर्ग, कम्प्यूटर संवर्ग, संग्रह संवर्ग एवं संख्या संवर्ग(सहायक संख्या अधिकारी)। परिपत्र संख्या-3186 दिनांक 08-10-2021 के अनुसार।
---	--	---

(ब)- विभागीय पोर्टल- "व्यास सेण्ट्रल" पर उपलब्ध माड्यूल पर उपलब्ध सम्बन्धित मैनु का View/Enter/Edit रोल को परिपत्र संख्या-3186 दिनांक 08.10.2021 के अनुसार सम्बन्धित संवर्ग को निम्न प्रकार आवंटित किया जा सकता है।

1	माड्यूल पर उपलब्ध सम्बन्धित मैनु का View/Enter/Edit	लिपिक संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग, मनोरंजन कर निरीक्षक संवर्ग, कम्प्यूटर आपरेटर संवर्ग, संग्रह संवर्ग एवं संख्या संवर्ग(सहायक संख्या अधिकारी) परिपत्र संख्या-3186 दिनांक 08-10-2021 के अनुसार।
---	---	--

2 उक्त के अतिरिक्त व्यास सेण्ट्रल पर उपलब्ध माड्यूल पर उपरोक्त परिपत्र के अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा कार्य-दायित्वों के अनुरूप फीडिंग का कार्य किया जायेगा। परन्तु इस रोल में Verification Button/Option उपलब्ध नहीं होगा। अपितु कार्य पूर्ण कर देने के उपरान्त यह स्वतः सम्बन्धित प्रॉपर ऑफिसर की आई0डी0 पर Verification के लिये उपलब्ध हो जायेगा। अधिकारी के द्वारा Verify करने के उपरान्त यह पोर्टल पर द्रश्य हो जायेगा तथा अब पुनः पोर्टल पर अधिकारी द्वारा वेरीफाई करने के पूर्व तक इसे सम्बन्धित कर्मचारी अथवा अधिकारी दोनों के द्वारा एडिट किया जा सकेगा।

व्यास सेण्ट्रल में वैट व्यवस्था के अन्तर्गत जो भी कार्य फील्ड के कार्यालयों में किये जाने हैं उस सम्बन्ध में वैट व्यवस्था में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार पूर्व की भाँति आवंटित रोल के तहत कार्य किया जाता रहेगा।

Boweb Portal तथा व्यास सेण्ट्रल पर उपरोक्तानुसार यूजर रोल के अनुसार लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड फील्ड में तैनात क्रमशः सब-स्टेट एडमिन एवं लोकल एडमिस्ट्रेटर द्वारा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार की गयी व्यवस्था के अनुसार निर्देश दिये जाते हैं कि अपने कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कार्मिकों को यूजर आई0डी0 व पार्सवर्ड एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेगे तथा इसकी सूचना स्थापना आरापत्रित अनुभाग मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुए, आई0डी0 अनुभाग को उपलब्ध करायेगे।

उपरोक्त निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

Nty 6/10/2022

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।